न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

R 1152-PB2-17

गंगाराम पिता कोदरजी जाति ब्राम्हण उम्र 50 वर्ष

धंधा व्यापार निवासी जोशी कालोनी धार तह0 व जिला धार

....................निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा

1– तहसीलदार तह0 व जिला धार

2– ग्राम पंचायत जेतपुरा के सरपंच व सचिव ....विपक्षीगण

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम जेतपुरा तहसील व जिला धार की भूमि सर्वे नंबर 107 नवीन होकर पुराना 152/1 होकर उक्त संपूर्ण भूमि डायवरडेट लेण्ड है नगरीय क्षेत्र में होकर नगर पालिका धार सीमा में होकर जिस बाबद समय–समय पर सूचना पत्र होकर जिस संबंध में उक्त भूमि जो सर्वे नंबर 107 नवीन पुराना 152/1 होकर सर्वे नंबर 107 कई भागो में विभक्त होकर विधिवत क्रेता होकर हम सदभाविक क्रेता होकर करोडो रूपये का निर्माण होकर उक्त भूमि का एक अंश सर्वे नंबर 107 का एक अंश सर्वे नंबर 107/4/1 होकर रकबा 0.155 हैक्टर होकर उक्त भूमि के संबंध में पूर्व स्वामी दर स्वामी नाम होकर उक्त भूमि का पुराना नंबर 152/1 होकर उक्त भूमि 02.10.1959 को होकर उक्त भूमि वडिल दर वडिल मांगिया पिता सावंत के नाम से दर्ज होकर मांगु उर्फ मांगिया पिता सावंत ने विधिवत संपूर्ण भूमि को डायवर्टेड कराया वह आज्ञा 19.06.1981 की है जिसका अनुमोदन भी कलेक्टर महोदय द्वारा व पुख्ता कलेक्टर महोदय द्वारा हमारे मालिको व स्वामियो ने चेतन पिता राधेश्याम ने भी उक्त अंश के बारे में व संपूर्ण भूमि के बारे में मुकदमे चले वे मुकदमे भी दिनांक 03.02.1984 को 18.06.1984 को उक्त मुकदमो के संबंध में पूर्व मालिको को भूमिस्वामी माना स्वामी माना व धारा 181, 182 भूरासं मुजब कभी भी पट्टे पर मांगु उर्फ मांगिया पिता सावंत को पट्टे पर नही दी गई न प्रमाण है वरन उक्त भूमि का पुराना नंबर 152/1 होकर संपूर्ण भूमि का एकल मांगु दर्ज है। भूमि बांट अधिनियम संबंधी कोई प्रमाण नही है धारा 181, 182 भूरासं का पट्टा सशर्त पट्टा नही है न प्रमाण है जबकि

कार्यवाही प्रारंभ जिस दिनांक को कही गई उस समय भी कोई प्रमाण पेश नही हुआ आज भी संपूर्ण रिकार्ड में कोई प्रमाण नही है अतः प्रतिवेदन से अपर कलेक्टर महोदय धार ने पुनर्विचार प्रकरण क्रमांक 15/2016–17/बी–121 में जो नोटिस दिया जो हमे दिनांक 30.03.2017 को मिला वैसे ही हमने नकल की अर्जी दी नकल हमे मिली नही है नकल से मुक्ति बाबद अलग से अर्जी दी है नोटिस विचाराधिकार रहित है प्रारंभ विचाराधिकार रहित है अपर कलेक्टर महोदय धार को हमारी भूमि सर्वे नंबर निगरानीकर्ता की भूमि सर्वे नंबर ग्राम जेतपुरा तहसील व जिला धार की 107 के संबंध में नोटिस देते आता नही है। अतः दर्ज नोटिस आदि कार्यवाही का प्रारंभ विचाराधिकार रहित होकर नलिटी है जिसे विचार में लिया जाकर मूल नोटिस मूल कार्यवाही व प्रारंभ दर्ज विचाराधिकार रहित होकर नलीटी है उसे अपास्त बाबद मेरे हक में हुए विधिक दस्तावेज व मेरे पूर्वाधिकारी के हक में हुए आदेश व 02.10.59 के पूर्व धारा 158 भूरासं मुजब मांगिया भूमिस्वामी है स्वामी रूप में दर्ज रहा है धारा 158 भूरासं मुजब माना हुआ स्वामी है मध्य भारत कानून मुजब 02.10.59 मुजब स्वामी कृषक मांगु उर्फ मांगिया पिता सावंत होने से नवीन भूरासं 1959 को व उसके बाद वह माना हुआ स्वामी है विधि स्पष्ट है ऐसी दशा में स्वामी को धारा 181, 182 भूरासं का पट्टेदार नही कहा जा सकता है न भूमि बांट अधिनियम 1954 का पट्टेदार नही था न होने का प्रश्न है ऐसी दशा में बिना प्रमाण के लगभग 55 साल पुराने इंद्राज को अपास्त व उसके बाद अंतरण दर अंतरण को वह समय–समय पर 1981 के बाद हुए आदेशो को जो सन 1986 तक हुए व 1990 तक हुए वे सब नकले पेश है जो चेतन के हक में है मांगु के हक में है उसके संबंध में अब 180 दिन बाद एक साल की अवधि बित जाने के बाद 55 साल बाद पुनर्विचार का नोटिस दर्ज व प्रतिवेदन तहसील अनुविभागीय अधिकारी व अपर कलेक्टर महोदय की दर्ज विचाराधिकार रहित होने से उसे अपास्ति बाबद अपर कलेक्टर महोदय धार के यहां अंतिम तौर पर आई व उनके द्वारा कार्यवाही का प्रारंभ व नोटिस जिसकी जानकारी हमें सर्वप्रथम दिनांक 30.03.2017 को हुई जिसके नोटिस की नकल पेश है जिस बाबद हमने नकल की अर्जी भी दे दी है नकल से मुक्ति बाबद अलग से अर्जी दी है अगर कोई मियाद संबंधी बाधा हो तो उस बाबद अलग से अर्जी दी है मियाद क्षमा होना अर्ज है और निगरानी में प्रकरण लिया जाकर निगरानी में अगर कोई बाधा हो तो इस प्रकरण के नेचर को देखते हुए सुपर विजन पावर का उपयोग कर कलेक्टर महोदय के यहां कार्यवाही का प्रारंभ नोटिस 55 साल बाद बेसुद होने से विचाराधिकार रहित होने से व पूर्व में अपर आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर का निर्णय होते हुए उक्त भूमि के संबंध में जो पूर्व मालिको को बीच चला है श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय धार द्वारा अपने राजस्व प्रकरण क्रमांक 15/2016–17/बी–121 में मेरे चालू काम को जो

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1152–पीबीआर/2017 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.8.2017	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक की पूर्व निगरानी प्रकरण कमांक 1547–पीबीआर/2016 मण्डल में दिनांक 24–1–2017 को निरस्त हो चुकी है । आवेदक ने यह निगरानी पेश करते समय इस तथ्य को छुपाया है । इस प्रकरण में अभी अपर कलेक्टर द्वारा केवल निर्माण कार्य रोकने का सूचना पत्र दिया है । मूल प्रकरण में अभी आवेदक द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव पेश किया जाना है । ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा मूल प्रकरण का निराकरण का प्रयास न करते हुये तथ्यों को छुपा कर यह निगरानी मण्डल में पेश की गई है । इसमें जो बिन्दु आवेदक ने उठाये हैं, उन्हें उठाने का अवसर उसे निचले न्यायालय में उपलब्ध है । अतः यह निगरानी औचित्यहीन होने से निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	